न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2018

अनवान :

1. धर्मपाल पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. देवतराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शारदादेवी पुत्री नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 30.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के वर्तमान खाता सं0 73/68 के मु0न0 12 के किला नं0 12 ता 15, 16/2 , 17 व 18 की कुल 1.720 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 1 बीएचडी के वर्तमान खाता सं0 44/44 के मु0नं0 91 के किला नं0 24 व 25 की 0.506 है0 नहरी मय रास्ता खाला तथा चक 2 एमएसआर के खाता सं0 47/41 के मु0नं0 64 के किला नं0 2, 9, 12, 19 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी नोरंगराम वल्द अमीचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा अमीचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। अमीचन्द के देहान्त होने पर विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी नोरंगराम ने कर्ता खानदान होने के चलते अपने नाम दर्ज करवा लिया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते वादभूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि के सम्बन्ध में पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी शारदादेवी ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादीगण प्रतिवादी नोरंगराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 धर्मपाल पुत्र नोरंगराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6

बारानी खाता सं0 73/68 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 बीएचडी खाता सं0 44/44 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, नकल फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 2 एमएसआर खाता सं0 47/41 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2045 से 48 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 9 बीएचडी सम्वत् 2038 से 41 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2एमएसआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते वादभूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 6 बारानी व 2 एमएसआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2045 से 48 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 2 एमएसआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादीगण के दादा अमीचंद वल्द गुगन के नाम से दर्ज है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में नोरंगराम के वारिसान में पत्नि किरतारो, दो पुत्र धर्मपाल व देवतराम एंव पुत्री शारदा देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के वर्तमान खाता सं0 73/68 के मु0न0 12 के किला नं0 12 ता 15, 16/2, 17 व 18 की कुल 1.720 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 2 एमएसआर के खाता सं0 47/41 के मु0नं0 64 के किला नं0 2, 9, 12, 19 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी नोरंगराम वल्द अमीचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 नोरंगराम के बजाय वादीगण धर्मपाल व देवतराम बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 1 बीएचडी की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नोरंगराम के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2018

अनवान :

1. धर्मपाल पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. देवतराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शारदादेवी पुत्री नोरंगराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के वर्तमान खाता सं0 73/68 के मु0न0 12 के किला नं0 12 ता 15, 16/2, 17 व 18 की कुल 1.720 है0 नहरी व बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि व चक 2 एमएसआर के खाता सं0 47/41 के मु0नं0 64 के किला नं0 2, 9, 12, 19 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी नोरंगराम वल्द अमीचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 नोरंगराम के बजाय वादीगण धर्मपाल व देवतराम बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 1 बीएचडी की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नोरंगराम के नाम यथावत् रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.7.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़